:: न्यायालय, अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.) ::

पीठासीन न्यायाधीश : **मुकेश कुमार सोनी**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या : 04/2020

CIS No. : 04/2020

राजस्थान राज्य

बनाम

मुरली पुत्र गंगाराम, निवासी पहाड़पुरा, पुलिस थाना मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राजस्थान) .... अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 456, 376 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित:-

01. विद्वान अपर लोक अभियोजक, अनुपस्थित।
02. श्री दुर्गाशंकर गोयल, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांक:-12.05.2026**

घटना की दिनांक	08.04.2019
प्रथम सूचना की दिनांक	14.04.2019
अंतिम परिणाम प्रस्तुत करने की दिनांक	05.12.2019
कमिट होकर प्राप्त होने की दिनांक	06.01.2020
आरोप विरचन की दिनांक	25.02.2020
साक्ष्य आरम्भ होने की दिनांक	26.03.2020
निर्णय सुरक्षित करने की दिनांक	-
निर्णय की दिनांक	12.05.2026
दण्डादेश, यदि हो तो दिनांक	-

अभियुक्त का विवरण-

क्र. सं.	नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर मुक्त होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषसिद्धी / दोषमुक्ति	अधिरोपित दण्ड	धारा 428 दप्रसं के अधीन समायोजन की अवधि
1.	मुरली			अपराध धारा 456, 376 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्ति	-	-

1. यह सेशन प्रकरण थानाधिकारी, पुलिस थाना मनोहरथाना, जिला झालावाड़ की ओर से अभियुक्त मुरली के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 456, 376 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दिनांक 05.12.2019 को प्रस्तुत आरोप पत्र को

विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना द्वारा उपार्पित किये जाने के पश्चात इस न्यायालय को प्राप्त होने से उद्भूत हुआ है।

2. प्रकरण के तथ्यों के अनुसार दिनांक 14.04.2019 को पीड़िता ने पुलिस थाना मनोहरथाना पर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह पहाड़पुरा की रहने वाली है। वह और उसका पति बच्चों सहित करीबन पांच साल से मनोहरथाना बीनागंज रोड़ कॉलोनी किराये के मकान में रहते हैं। उसका पति पप्पूलाल कृषि उपज मण्डी में हम्माली का काम करता है जो रात के समय घर पर लेटसेट आते हैं। दिनांक 08.04.2019 को रात के समय वह और उसकी ननद सावित्री बाई खाना खाकर कमरे में किवाड़ लगाकर सो गए थे। उसके कमरे की लाईट जल रही थी कि रात बारह-एक बजे कमरे का खटखटाने की आवाज आई तो उसने समझा कि उसका पति पप्पूलाल होगा तो उठकर कमरे का किवाड़ खोलकर देखा तो उनके गांव पहाड़पुरा का मुरली नजर आया जो एकदम उसके कमरे में घुसकर उसके हाथ पकड़कर उसे आमकझूमक होकर बेड पर पटक दिया और उसका पेटीकोट ऊंचा करके खोटा काम किया। वह चिल्लाई तो उसकी ननद सावित्री बाई जग गई जो डर के मारे कमरे के बाहर निकल गई। उसके बाद मुरली भी काम करके जाते-जाते उससे कहा कि यदि यह बात किसी को बताई तो जान से मार देगा, उसकी जिन्दगी बर्बाद कर देगा। इसलिए उसने यह बात किसी को नहीं बताई। कल शाम को उसने यह सारी बात अपने पीहर जाकर अपने पति को बताई थी। मुरली तंवर करीब एक साल से उसका पीछा कर रहा था जिसे उसके पति ने भी समझा दिया था उसके बाद भी मुरली ने उसके साथ यह हरकत की है।

3. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मनोहरथाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 146/2019, अन्तर्गत धारा 456, 376 भा.द.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त मुरली के विरूद्ध धारा 456, 376 भा.द.सं. में आरोप पत्र विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ में प्रसंज्ञान लेकर विचारणार्थ इस न्यायालय को उपार्पित किया गया।

4. अभियुक्त मुरली के विरूद्ध धारा 456, 376 भा.द.सं. के अपराध के आरोप विरचित किए गए, अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन पक्ष की ओर मौखिक साक्ष्य में कुल 8 साक्षियों को परीक्षित करवाया गया है और दस्तावेजी साक्ष्य में कुल 13 दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया है। उक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विवरण निर्णय के अंतिम भाग में संलग्न **परिशिष्ट- 'क'** में दिया गया है।

5. अभियुक्त मुरली को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया। उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए कथन

किया है कि पीड़िता के ससुर XXXX के पास उन्होंने अपनी एक बीघा जमीन गिरवी रख रखी थी जिसे उन्होंने पैसे चुकाकर छुड़ा लिया, इसलिए परिवादी पक्ष नाराज था। इसी बात पर पीड़िता के पति से उसका झगड़ा हुआ था इसलिए उसके विरूद्ध यह झूठा मुकदमा कराया है। अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

6. बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का निवेदन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट छः दिन के विलम्ब से दर्ज करवाई गई है जिसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है। पीड़िता के साथ घटना के समय कमरे में मौजूद बताई गई उसकी ननद व पुत्री के बयान नहीं लिये गये और जिस मकान में वह रहती थी उसके मकान मालिक व आस पड़ौस के मकान वालों से कोई अनुसंधान नहीं किया। पीड़िता, उसके पति तथा सास के बयानों में गम्भीर विरोधाभास हैं। पीड़िता का अण्डसवियर घटना के सात दिन बाद जप्त किया है जिसके रंग के बारे में व फटे होने या न होने के बारे में विरोधाभास है। अभियुक्त का अण्डरवियर करीब तीन माह बाद जप्त करना संदेह जनक है और इन पर मानव वीर्य पाया जाना अधिक संदेहजनक है। चिकित्सीय साक्ष्य से अपराध कारित होने की सम्पुष्टी नहीं हुई है। उनका तर्क है कि अभियुक्त व उसके पिता ने एक बीघा जमीन पीड़िता के ससुर के पास गिरवी रखी थी जो अभियुक्त ने पैसे चुका कर खरीद ली जबकि परिवाद पक्ष इस जमीन को हड़प करना चाहता था। अभियुक्त का इस बात पर पीड़िता के पति से विवाद हुआ था। इसकारण परिवादी पक्ष ने अभियुक्त के विरूद्ध यह झूठा अभियोग दर्ज करवाया है। आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये-

01. 2008(2) Cr.L.R. (Raj.) 1713 **02.** 2010(1) RLW 856 (Raj.)

7. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया। उनका निवेदन है कि आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है अभियुक्त को दोषसिद्ध कर कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये।

8. सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। प्रकरण के विनिश्चय के लिए न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय बिन्दु है कि-

(1) ''क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.04.2019 को समय रात करीब 12-1 बजे स्थान मनोहरथाना बीनागंज रोड़ पर स्थित कॉलोनी में परिवादिया/पीड़िता के किराये के मकान में पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध एवं सहमति के बिना जबरन सम्भोग कर बलात्कार किया व उसके मकान में अवैध रूप से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह-अतिचार कारित किया?"

(2) ''यदि हां तो उसके लिये उचित दण्ड क्या होगा?"

<u>साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण</u>-

9. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 02 पीड़िता** की अभिसाक्ष्य है कि वर्ष 2019 की बात है। वह मनोहरथाना में बीनागंज कॉलोनी में किराये के मकान में पति के साथ रहती थी। उसके दो बच्चियां है। उस समय वह पांच साल से वहां पर रह रही थी। उसका पति पहले कृषि उपज मण्डी में काम करता था। अब गाडी चलाने लग गये हैं। उसका पति लेट सेट आता था। शाम को वे खाना खाकर सो गये थे उसके साथ उसकी ननद सावित्री थी उनको नींद भी आ गई थी। आधी रात को दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो उसने उसके पति समझ कर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने के बाद उसने देखा कि उसके पति नहीं था गांव का मुरली था। दरवाजा खोलते ही मुरली ने उसके दोनों हाथ पकड लिये और उसे पलंग पर गिरा दिया व उसके कपडे फाड़ दिये। उसके साथ खोटा काम बलात्कार किया। मुरली ने उसे तब तक नहीं छोडा तब तक उसका काम नहीं हुआ। उसकी ननद भी चिल्ला चोट सुन कर जाग गई थी। उसकी ननद डर के मारे बाहर आगई थी जो करीब बारह साल की थी। मुरली ने उससे कहा कि किसी को बताया तो उसे व उसके घर वालों को जान से मार देगा। उसके बाद मुरली वहां से उसे धमकी दे कर चला गया। साक्षी के अनुसार वह दो दिन बाद पीहर आई और अपने घरवालों के सामने पति को घटना के बारे में बताया। फिर उसने अपने पति के साथ थाना मनोहरथाना में जाकर रिपोर्ट करवाई। रिपोर्ट प्रर्दश पी-3 उसकी कलमी है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रर्दश पी-4 है जिस पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी एक लेडीज अण्डरवीयर जब्त की थी। जिसकी फर्द जब्ती प्रर्दश पी-5 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका बलात्संग संबंधी मेडिकल करवाया था जो प्रर्दश पी-6 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर उसका अंगूठा निशानी है। पुलिस ने उसके बयान धारा 164 दप्रसं करवाये थे। बयान 164 दप्रसं प्रर्दश पी-7 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी-8 बनाया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि उसकी दो लड़कियां हैं। बड़ी पुत्री वर्षिका की उम्र 9 वर्ष और छोटी पुत्री नाहिरा की उम्र 6 वर्ष है। साक्षी ने बड़ी लड़की अपनी मां के घर में व छोटी पुत्री अपने साथ होना बताया है। साक्षी का कथन है कि वह मुरली को नहीं जानती थी लेकिन आगे कहा है कि मुरली उसके ससुराल के गांव का है और वह जिस मकान में रहती थी उसमें मुरली आता-जाता था। इस संबंध में आगे साक्षी का कथन है कि मुरली के पिता का नाम गंगाराम है। मुरली ने एक बीघा जमीन को छुड़वा लिया था और इस बात पर उसके पिता व मुरली के बीच झगड़ा हो गया था। लेकिन इस वजह से मुरली के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवाए जाने के सुझाव से इन्कार किया है। साक्षी के अनुसार उसके मकान के आस-पास चन्द्रसिंह

तंवर, मोहनलाल, पप्पूलाल तंवर व कमलसिंह के मकान हैं। साक्षी का कथन है कि उसकी सास उसके साथ नहीं रहती थी लेकिन उसी बस्ती में रहती थी। आगे कथन किया है कि उसने घटना के बारे में अपनी सास को नहीं बताया क्योंकि अभियुक्त ने उसे धमकी दी थी। यह स्वीकार किया है कि उसकी ननद के बुलाने पर उसकी सास वहां आ गई थी और उसे पानी पिलाया था। घटना के बारे में उसने आस-पड़ौस के लोगों व परिजनों को नहीं बताया, केवल अपने पति को बताया था। घटना के दूसरे दिन उसने रिपोर्ट करवाई थी लेकिन पुलिस वालों ने नहीं लिखी। साक्षी का कथन है कि मुरली उसे हाथ पकड़कर 8-10 फिट तक घसीटकर ले गया था जिसके कारण उसके हाथ की चूड़ियां टूट गई थी और चूड़ी के टुकड़े हाथ में घुस जाने से खून आ गया था। खींचने के कारण दोनों पैरों पर रगड़ के निशान हो गए थ। चेहरे पर नोचने के निशान हो गए और सीने पर भी दोनों तरफ निशान हो गए थे। यह स्वीकार किया है कि उसे पटकने के कारण सिर व मुंह पर सूजन आ गई थी। उसकी अण्डरवियर खून में हो गई थी और पेशाब करने की जगह पर भी खरोंच के निशान हो गए थे। मुरली ने उसे पलंग पर पटका तो पलंग के पाये की ईंस टूटकर अलग हो गई थी। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि मुरली ने उसके कपड़े निकालकर अलग रख दिकये हों, स्वतः कहा है कि उसके कपड़े फाड़ दिये थे। अपना ब्लाउज, लहंगा व अण्डरवियर फाड़ देना बताया है। साक्षी के अनुसार उसने अपनी सभी चोटें डॉक्टर को बता दी थी। अपना ब्लाउज, पेटीकोट, अण्डरवियर फटने की बात पुलिस को बता दी थी। खाट टूटने के बारे में भी पुलिस को बता दिया था। पुलिस द्वारा अपनी चूड़ियों के टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया जाना कहा है।

10. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 3 पीड़िता के पति** की अभिसाक्ष्य है कि आज से करीब छह साल पहले की बात है। वह मनोहरथाना में गल्ला मंडी में हम्माली का काम करता था। वह तथा उसकी पत्नी पीडिता व बहन सावित्री बीनागंज कॉलोनी में कमलसिंह के मकान में किराये से रहते थे। साक्षी के अनुसार वह घर पर आया तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसके साथ मुरली ने लुमा झामी की व कपड़े उंचे करके प्यार किया। फिर वह उसे थाने पर ले गया व मुकदमा दर्ज कराया। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी.03 व चाक एफआईआर प्रदर्श पी.04 पर सी से डी अपने हस्ताक्षर बताये हैं। साक्षी के अनुसार पुलिस ने उसकी पत्नी की अण्डरवियर जप्त की थी, पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था। फर्द जप्ती प्रदर्श पी.05 पर व नक्शा मौका प्रदर्श पी.08 पर अपने हस्ताक्षरों को प्रदर्शित करवाया है। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि कमलसिंह के मकान में मकान मालिक व उसका परिवार रहता था। उसकी पत्नी सावित्री बाई व पुत्री नाहिरा उसकी पत्नी के पास सो रही थी। यह स्वीकार किया है कि घटना के बाद उसकी पत्नी ने उसे घटना की कोई सूचना नहीं दी। वह घर आया तो उसे घटना

की जानकारी दी थी। यह स्वीकार किया है कि वह जहां रहता है उसके पोस ही उसे माता-पिता भी रहते हैं। उसके आने से पहले उसकी पत्नी ने उसके माता-पिता को घटना की बात नहीं बताई थी। आगे साक्षी का कथन है कि उसकी पत्नी ने उसी दिन रात को ही घटना की बात बता दी थी और दूसरे दिन सवेरे ही उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। यह स्वीकार किया है कि आने के बाद उसने देखा तो उसकी पत्नी के कपड़े लहंगा, ब्लाउज, पेटीकोट फटे हुए थे, दोनों हाथों की चूड़ियां टूटी हुई थी व चूड़ियां धंसने के निशान थे जिनसे खून आ रहा था। मुंह, हाथ व पैरों पर खरोंच के निशान थे। यह भी स्वीकार किया है कि पलंग की ईंस भी टूट गई थी। अभियुक्त उसकी पत्नी को पलंग से घसीटकर ले गया था जिससे खरोंच के निशान भी आये थे। धक्का देने के कारण उसकी पत्नी का सिर फूट गया था और सिर में चोट आई थी। साक्षी का कथन है कि उनके मकान के आस-पास श्याम व मोहन के मकान हैं। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त के पिता गंगाराम से उनका पैसों का विवाद है और एक बीघा जमीन पर कब कर रखा है। लेकिन फिर कथन किया कि उनकी जमीन पर गंगाराम ने कब्जा कर लिया था जिसका उनमें विवाद चल रहा है। जमीन की रंजिश के कारण झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के सुझाव से इन्कार किया है।

11. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 मंगलचंद** की अभिसाक्ष्य है कि वह दिनांक 10.07.2019 को थाना मनोहरथाना पर कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना हाजा के मुकदमा नंबर 146/19 धारा 456 व 376 भादस के प्रकरण में बीनागंज कॉलोनी रोड़ मनोहरथाना घटना स्थल का तस्दीक नक्शा मौका अनुसंधान अधिकारी सीआई साहब धनराज जी ने बनाया था। तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। इस प्रकरण मे मुलजिम मुरली के द्वारा पेश करने पर उसकी अण्डरवियर जरिये फर्द जब्त की थी। जिसकी फर्द जब्ती अण्डरवियर प्रदर्श पी 2 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। अण्डरवियर मेहन्दिया रंग की थी। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि अभियुक्त की अण्डरवियर घटना के तीन माह बाद जप्त की थी। अभियुक्त ने तीन महीने बाद अपनी पहनी हुई अण्डरवियर को उतारकर पेश किया था। तस्दीक कार्यवाही के समय कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली।

12. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 6 शीशराम** की अभिसाक्ष्य है कि वह दिनांक 10.07. 2019 को कानि. पुलिस थाना मनोहरथाना के पद पर कार्यरत था। उस दिन अभियुक्त मुरली ने बिनागंज रोड पर स्थित घटनास्थल की थानाधिकारी धनराज मीणा को तस्दीक कराई थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी.01 है जिसपर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त मुरली की एक पहनी हुई अण्डरवियर थानाधिकारी ने बतौर वजह सबूत जप्त कर सील्ड मोहर किया था जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी.02 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया

है कि अनुसंधान अधिकारी ने दिनांक 15.04.2019 को घटना स्थल का नक्शा मौका बना लिया था और उसके बाद दिनांक 10.07.2019 को घटना स्थल तस्दीक करवाया था। अभियुक्त की अण्डरवियर दिनांक 11.07.2019 को जप्त की थी जो पहनी हुई खुलवाकर जप्त की थी। साक्षी के अनुसार वह नहीं कह सकता कि अभियुक्त दिनांक 14.04.2019 से 11.07.2019 तक एक ही अण्डरवियर पहने हुए हो और उसे धोया नहीं हो।

13. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 7 पीड़ित की सास** का कथन पीड़िता उसकी पुत्रवधु है, वे दोनों पति पत्नी कमलसिंह के मकान में बिनागंज रोड मनोहरथाना में किराये से अलग रहते थे। करीब 7-8 साल पहले उसके पुत्र ने उसे बताया था कि मुरली तंवर ने उसकी पत्नी के साथ खोटा काम किया है। साक्षी के अनुसार पुलिस ने पीड़िता का अण्डरवियर जप्त किया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी.05 पर उसका अंगूठा लगवाया था जो मार्क वाई है। पुलिस ने नक्शा मौका प्रदर्श पी.08 बनाया था जिसपर एक्स स्थान पर उसका अंगूठा निशानी कराया था। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि उसके बेटे बहु शादी के बाद से ही मनोहरथाना में 10-12 साल से रह रहे थे। जिस मकान में उसके बहु बेटे रहे थे उसके पास ही वह भी किराये से रहती थी। यह स्वीकार किया है कि घटना की बात उसकी बहु ने नहीं बताई उसके बेटे ने बताई थी। साक्षी का कथन है कि उसकी बहु के शरीर पर कोई चोट या रगड़ के निशान नहीं थे। वह घर के अन्दर गई तो खाट टूटी हुई नजर नहीं आई। साक्षी ने पीड़िता की लाल रंग की फटी हुई अण्डरवियर जप्त करना बताया है और कथन किया है कि थाने वालों ने घटना के 15 दिन बाद मंगवाई थी। साक्षी के अनुसार उन्होंने एक बीघा जमीन मुरली के पिता गंगाराम के गिरवी रखी थी जो मुरली ने जबरन छुड़ा ली, इस बारे में उनके बीच झगड़ा हुआ था। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि पीड़िता का पहले से मुरली से संबंध हो और जमीन के विवाद को लेकर उन्होंने मुरली के विरूद्ध झूठा प्रकरण दर्ज करवाया हो।

14. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 8 विक्रम** कनि. के अनुसार उसे दिनांक 20.08.2019 को थाना मनोहरथाना के मालखाना इंचार्ज राजेन्द्र सिंह ने मुकदमा संख्या 146/2019 के चार सील्ड पैकेट मार्क ए, बी, एक्स, वाई एफएसएल में जमा कराने के लिए दिये थे। उसने एसपी कार्यालय से अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 12 प्राप्त कर दिनांक 21.08.2019 उक्त पैकेट एफएसएल कोटा में जमा करवा दिये थे जिसकी रसीद प्रदर्श पी 13 है। प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पैकेट पर किस मार्का की सील थी और इस पैकेट मे क्या वस्तुएं थी उसे पता नहीं।

15. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 4 राजेन्द्रसिंह** के अनुसार वह दिनांक 11.08.19 को मालखाना इंचार्ज के पद पर थाना मनोहरथाना में तैनात था। उस दिन सीएचसी मनोहरथाना से कानि. जगदीश ने मु.सं. 146/19 के चार पैकेट

मार्क ए, बी, एक्स, वाई सीलचिट लाकर पेश किये। जिन्हें उसने मालखाना में जमा कर क्रम सं. 122 पर इन्द्राज किया। दिनांक 20.08.19 को उक्त चार पैकेट एफएसएल में जमा कराने के लिए कानि. विक्रम को अग्रेषण पत्र के साथ सुपुर्द किये। जिसने दिनांक 22.08.19 को प्राप्ति रसीद लाकर पेश की। नकल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 9 है। प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पैकेटों में क्या वस्तु थी यह रजिस्टर में नहीं लिखा। एफएसएल ले जाने वाले कानि. के भी हस्ताक्षर नहीं करवाये।

16. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 5 धनराज** ने प्रकरण का अनुसंधान किया है। साक्षी के अनुसार वह दिनांक 14.04.2019 को थानाधिकारी पुलिस थाना मनोहरथाना के पद पर कार्यरत था। उस दिन 'पीड़िता' ने अपने पति के साथ उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 पेश कि थी। रिपोर्ट से मामला धारा 456,376, आईपीसी का होना पाये जाने पर उसने मुकदमा संख्या 146/2019 पंजीबद्व कर अनुसंधान प्रारंभ किया। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 04 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान पीडिता के बयान धारा के 161 दप्रसं महिला कानि. ममता से लिवाये व गवाहान बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये। पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया। पीड़िता द्वारा घटना के समय पहनी हुई एक लेडिज अण्डरवियर को पेश करने पर गवाहान के समक्ष जब्त कर कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर **मार्क ए** अंकित किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 05 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। पीडिता के बयान धारा 164 दप्रसं करवाये जाकर शामिल पत्रावली किये। दौराने अनुसंधान घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 08 पीड़िता की निशां देही से बनाया। अभियुक्त मुरली को दिनांक 10.07.2019 को जरिये प्रदर्श पी 10 गिरफ्तार किया। अभियुक्त ने घटनास्थल कि तस्दीक बाबत् सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी 11 दी थी। उक्त सूचना के आधार पर घटनास्थल मकान कमलसिंह तंवर का तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 बनाया। दिनांक 11.07.2019 को अभियुक्त मुरली द्वारा घटना के समय पहनी हुई बता कर एक अण्डरवियर उतारकर पेश की गई थी जिसे जरिये फर्द प्रदर्श पी 02 जब्त किया कर सील मोहर कर **मार्क बी** अंकित किया। अभियुक्त का पुरूषत्व परीक्षण करवाया जाकर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की। प्रकरण में जब्त पैकेट मार्क ए, बी, एक्स, वाई को एफएसएल कोटा में जमा करवाया। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 14 व 15 पत्रावली में संलग्न है। उसने अनुसंधान से अभियुक्त मुरली के खिलाफ अपराध धारा 456, 376 भादसं का अपराध प्रमाणित पाया और आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया था। **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि पीड़िता ने दिनांक 08.04.2019 की घटना की रिपोर्ट थाने में दिनांक 14.04.2019 को दर्ज करवाई थी। यह स्वीकार किया है कि पीड़िता मनोहरथाना में रहती थी और थाना दो

किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि पीड़िता घटना के दूसरे दिन दिनांक 14.04.2019 को थाने में रिपोर्ट करवाने आई हो। यह स्वीकार किया है कि पीड़िता ने घटना के समय उसकी ननद सावित्री का मौजूद होना बताया था लेकिन सावित्री बाई के बयान पत्रावली में नहीं हैं। साक्षी के अनुसार पीड़िता की दो पुत्रियां हैं तथा उसके अनुसंधान में यह बात नहीं आई थी और पीड़िता ने घटना के समय उसकी पुत्री सो रही हो यह बात उसे नहीं बताई थी। जिस मकान में पीड़िता किराये से रहती थी उसका मकान मालिक कमलसिंह भी उसी मकान में रहता था और यह स्वीकार किया है कि पत्रावली में कमलसिंह के बयान नहीं हैं। साक्षी के अनुसार नक्शा मौका में दर्शाए गए पड़ौसी चन्द्रसिंह व बापूलाल से घटना की ताईद बाबत कोई पूछताछ अनुसंधान में नहीं की और उनके बयान पत्राली में नहीं हैं। यह स्वीकार किया है कि घटना स्थल मकान का मार्क एक्स से दर्शाया गया रास्ता चैनल गेट से जाता है और उसके अनुसंधान में यह तथ्य आया था कि इस चैनल गेट में ताला लगाया जाता है। यह स्वीकार किया है कि कोई व्यक्ति ताला खोलेगा तभी चैनल गेट खुलेगा। साक्षी ने स्वीकार किया है कि अभियुक्त से अण्डरवियर घटना के तीन माह बाद दिनांक 11.07.2019 को जप्त की गई थी। वह अण्डरवियर उसने पहनी हुई थी या नहीं वह नहीं बता सकता। अभियुक्त ने घटना के समय पहनी हुई बताकर पेश की थी। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त से बाथरूम में लेकर उसकी अण्डरवियर पर सीमन लगवाया हो। यह स्वीकार किया है कि पीड़िता द्वारा उसका ब्लाउज, लंहगा, अण्डरवियर फटा हुआ नहीं बताया गया था और घटना स्थल पर ईंस टूटी हुई खाट भी नहीं बताई थी। पीड़िता की घटना के समय पहनी हुई जो अण्डरवियर जप्त की थी वह कहीं से फटी हुई नहीं थी। पीड़िता ने शरीर पर चोटों के कोई निशान उसे नहीं बताये थे। उसने घटना स्थल पर टूटी हुई चूड़ियां जप्त नहीं की न ही उसे बताई गई थी। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसके अनुसंधान में यह तथ्य आया हो कि अभियुक्त मुरली व उसके पिता गंगाराम ने पीड़िता के ससुर कन्हैया की एक बीघा जमीन छुड़ा ली हो और इस रंजिश के कारण झगड़ा होने के कारण अभियुक्त को झूठा फंसाया हो।

साक्ष्य की विवेचना-

17. साक्ष्य में यह तथ्य प्रकट हुए हैं कि पीड़िता एक विवाहित स्त्री है और अपने पति के साथ कस्बा मनोहरथाना में कमलसिंह के मकान में किराये से रह रही थी। उसकी 9 वर्षीय व 6 वर्षीय दो पुत्रियां थी व घटना की रात्रि में पीड़िता के साथ उसकी 6 वर्ष की बच्ची और 12 वर्षीय ननद कमरे में मौजूद थी। पीड़िता ने आधी रात्रि में दरवाजा खटखटाने की आवाज आने पर अपना पति

समझकर गेट खोलना बताया है और कथन किया है कि अभियुक्त मुरली ने बलपूर्वक अन्दर प्रवेश कर उसके साथ बलात्संग किया। इस संबंध में नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 के अवलोकन से प्रकट होता है कि घटना स्थल मकान के मुख्य दरवाजे के पश्चात अन्दर कमलसिंह व चन्द्रसिंह के चौक में होते हुए पीड़िता का कमरा बना हुआ है। अनुसंधान अधिकारी धनराज ए.एस.आई. ने यह स्वीकार किया है कि मुख्य दरवाजे के चैनल गेट लगा हुआ था और उसके अनुसंधान में यह तथ्य आया था कि चैनल गेट पर ताला लगाया जाता था और साक्षी ने स्वीकार किया है कि चैनल गेट का ताला खोले बिना कोई व्यक्ति अन्दर प्रवेश नहीं कर सकता। इन परिस्थितियों में अभियुक्त का रात्रि के समय बिना जानकारी सीधे ही पीड़िता के मकान के कमरे के दरवाजे तक पहुंचना और दरवाजा खुलवाकर बलपूर्वक प्रवेश करने का तथ्य संदेह के घेरे में आ जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि घटना से संबंधित सभी तथ्य न्यायालय के सामने पेश नहीं किए गए हैं।

18. पीड़िता, उसके पति व अनुसंधान अधिकारी ने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि घटना स्थल मकान में मकान मालिक कमलसिंह अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसके अतिरिक्त भी आस-पास में अन्य लोगों के मकान बने हुए थे। स्वयं पीड़िता की सास साक्षी क्रमांक 7 भी उसी बस्ती में निवास करना प्रकट हुआ है। घटना रात्रि के लगभग एक बजे की बताई गई है और पीड़िता का आरोप है कि अभियुक्त 40 मिनट तक उसके कमरे में रहा। पीड़िता की साक्ष्य के अनुसार उसे पलंग पर पटकने के कारण पलंग की ईंस टूट गई थी व धक्का देने के कारण उसके सिर व चेहरे पर चोटें आई थी। अभियुक्त द्वारा अपने कपड़े फाड़ देना व चेहरे तथा छाती पर खरोंच के निशान कारित करने, पकड़कर घसीटने तथा चूड़ी तोड़ देने जैसे तथ्य साक्ष्य में बताए हैं। सामान्यतः रात्रि में मामूली आहट भी दूर तक सुनी जा सकती है लेकिन इतने बड़े घटनाक्रम के बारे में उसी मकान में परिवार सहित निवास कर रहे मकान मालिक और अन्य आस-पास के लोगों को जानकारी नहीं होना असामान्य प्रतीत होता है। अनुसंधान अधिकारी ने स्वीकार किया है कि उसने कमलसिंह के व नक्शा मौका में दर्शाए गए आस-पड़ौसियों से अनुसंधान नहीं किया और उनके बयान नहीं लिये।

19. घटना के समय पीड़िता की 6 वर्षीय पुत्री व 12 वर्षीय ननद उसी कमरे में मौजूद थी और पीड़िता की साक्ष्य है कि उसकी ननद उठ गई थी व कमरे से बाहर निकल गई थी जो उसकी सास को भी बाद में बुलाकर लाई थी। इन परिस्थितियों में पीड़िता की ननद इस घटना की अत्यन्त महत्वपूर्ण साक्षी थी लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अनुसंधान अधिकारी ने उस बालिका से कोई पूछताछ कर बयान लेखबद्ध नहीं किये और न ही उसका कोई कारण स्पष्ट किया।

20. उपर्युक्त तथ्यों के अतिरिक्त घटना के सम्बन्ध में पीड़िता का आचरण असामान्य और अस्वाभाविक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 घटना के छः दिन बाद दिनांक 14.04.2019 को रात्रि 8.31 बजे थाने में पेश की गई है। रिपोर्ट में पीड़िता का कथन है कि अभियुक्त ने बलात्कार करने के बाद जाते समय उसे इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी इसलिए यह बात उसने किसी को नहीं बताई और कल शाम को अर्थात दिनांक 13.04.2019 को उसने अपने पीहर जाकर अकलेरा में अपने पति को घटना के बारे में बताया था लेकिन थाना में रिपोर्ट इसके भी दूसरे दिन दी गई है। न्यायालय में पीड़िता ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दो दिन बाद पीहर आई और अपने घरवालों के सामने पति को घटना के बारे में बताया। जबकि पीड़िता के पिता साक्षी क्रमांक 3 का कथन है कि वह घर आया तब उसकी पत्नी ने उसे बताया कि मुरली ने लूमाझामी की व कपड़े ऊंचे करके प्यार किया। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी का कथन है कि घटना के बाद उसकी पत्नी ने उसे घटना की कोई सूचना नहीं दी थी, वह घर आया तब उसे घटना की जानकारी दी थी। किन्तु आगे कथन किया है कि उसकी पत्नी ने उसी दिन रात को ही घटना की बात बता दी थी और दूसरे दिन सवेरे उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। स्वयं पीड़िता ने भी प्रतिपरीक्षा में अपने ही कथनों के विपरीत कथन किया है कि उसने दूसरे दिन ही रिपोर्ट करवाई थी लेकिन पुलिस वालों ने नहीं लिखी। जबकि अनुसंधान अधिकारी धनराज का कथन है कि पीड़िता घटना के दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आई थी। इन परिस्थितियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट के विलम्ब का स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं पाया जाता और इस घटना की जानकारी दिये जाने के बारे में साक्षियों के कथनों में विरोधाभास से घटना की सत्यता के बारे में गम्भीर संदेह उत्पन्न होता है।

21. इसी क्रम में पीड़िता की सास साक्षी क्रमांक 7 का कथन है कि उसे उसकी पुत्रवधु ने अपने साथ हुई किसी घटना के बारे में नहीं बताया। उसके पुत्र ने घटना की बात उसे बताई थी। इस साक्षी के अनुसार वह पीड़िता के मकान में गई थी। अपना मकान अपने बेटे बहु के मकान के पास ही होना बताया है। इस संबंध में पीड़िता ने प्रतिपरीक्षा में बताया है कि उसकी सास उसकी ननद के बुलाने पर वहां आ गई थी और जिसने उसे पानी पिलाया था और यह कथन किया है कि उसने अपनी सास को घटना के बारे में नहीं बताया था। यह तथ्य अत्यधिक असामान्य है और मानवीय आचरण के अनुकूल नहीं है।

22. पीड़िता की साक्ष्य है कि अभियुक्त ने लगभग 30 मिनट तक उसके साथ खोटा काम किया था। अभियुक्त उसे पकड़कर ले गया तब हाथों की चूड़ियां टूट गई थी और चूड़ियों के टुकड़े हाथ में घुस जाने से खून आ गए थे। उसे एक तरफ पटकने के कारण सिर व मुंह पर सूजन आ गई थी। उसके गुप्तांग पर

खरोंच के निशान हो गए थे। उसकी अण्डरवियर खून में हो गई थी। अपने चेहरे व छाती पर खरोंच के निशान आना बताया है और पलंग की ईंस टूट जाने का कथन किया है। पीड़िता के पति ने भी उसकी पत्नी के हाथों में चूड़ियां गड़ने के निशान व खून आने, मुंह, पैर व हाथों पर खरोंच के निशान होने और पलंग की ईंस टूटी होने का कथन किया है। उसने अभियुक्त द्वारा पेटीकोट, ब्लाऊज अण्डरवीयर फाड़ देने का कथन किया है जबकि पीड़िता की सास का कथन है कि वह अन्दर गई तब खाट टूटी हुई नजर नहीं आई थी। अनुसंधान अधिकारी ने भी पीड़िता के बताये उक्त तथ्यों की पुष्टि नही की है।

23. अनुसंधान के दौरान पीड़िता का बलात्संग संबंधी चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया है। पत्रावली पर प्रस्तुत पीड़िता के बलात्संग संबंधी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 के अनुसार चिकित्सक द्वारा यह राय दी गई है कि पीड़िता वर्जिन नहीं थी। उसके जननांग व शरीर पर कोई निशान या चोटें नहीं थी। हाईमन फटा हुआ था। जांच के लिए आवश्यक नमूने लिये जाकर अन्तिम राय एफएसएल रिपोर्ट के लिए सुरक्षित रखी गई थी। उक्त रिपोर्ट को विचार में लिये जाने के उपरांत भी न्यायालय के समक्ष स्थिति यह है कि पीड़िता के शरीर पर परीक्षण के समय कोई निशान नहीं थे और चिकित्साधिकारी द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार कारित होने की राय नहीं दी गई थी। विचारण के दौरान एफएसएल की रिपोर्ट प्रदर्श पी 14 व पी 15 पेश हुई हैं। प्रदर्श पी 14 के अनुसार Exhibit-1 पीड़िता की अण्डरवियर मार्क ए व Exhibit-2 अभियुक्त की अण्डरवियर मार्क बी पर मानव वीर्य पाया गया था लेकिन पीड़िता के वेजाईनल स्वब Exhibit-3 पैकेट मार्क एक्स में मानव वीर्य नहीं पाया गया। रिपोर्ट प्रदर्श पी 15 के अनुसार पीड़िता व अभियुक्त की अण्डरवियर तथा पीड़िता व अभियुक्त के रक्त व लार के नमूनों के बारे में जांच के पश्चात परिणाम अनिर्णित रहा है।

24. एफएसएल की उक्त रिपोर्ट के संदर्भ में प्रकरण के तथ्यों को देखा जाए तो केवल पीड़िता व अभियुक्त के अण्डरवियर पर मानव वीर्य पाया गया है। इस सम्बन्ध में साक्ष्य से प्रकट होता है कि पीड़िता का हलका बैंगनी रंग का अण्डरवियर दिनांक 15.04.2019 को उसके द्वारा अपने मकान में पुलिस को पेश किया गया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.04.2019 को चिकित्सीय परीक्षण के समय पीड़िता का अण्डरवियर प्राप्त कर जप्त नहीं किया गया अपितु दिनांक 15.04.2019 को अर्थात घटना के सात दिन बाद अण्डरवियर जप्त किया गया है। फर्द जप्ती में अण्डरवियर का रंग हल्का बैंगनी बताया गया है लेकिन पीड़िता ने अपनी साक्ष्य में अण्डरवियर, पेटिकोट हरे रंग का होना कहा है और अपनी अण्डरवियर फटी हुई बताई है। पीड़िता की सास साक्षी क्रमांक 7 ने पीड़िता का लाल रंग का अण्डरवियर जप्त करना बताया है और उसने भी अण्डरवियर फटी हुई बताई है जबकि फर्द जप्ती में अण्डरवियर फटे होने का उल्लेख नहीं है और

अनुसंधान अधिकारी ने भी इस तथ्य से इन्कार किया है कि अण्डरवियर फटी हुई हो। इसी क्रम में अभियुक्त मुरली का अण्डरवियर दिनांक 11.07.2019 को घटना के तीन माह से भी अधिक समय बाद जप्त किया गया है। मालखाना इंजार्ज ने अण्डरवीयर के पैकेट मार्क ए, बी सहित अन्य नमूना मार्क एक्स वाई चारों पैकेट एक ही दिन दिनांक 11.08.19 को कनि. जगदीश द्वारा पेश करने पर मालखाना में जमा करने की साक्ष्य दी है। दोनों अण्डरवीयर पर पाये गये मानव वीर्य किस व्यक्ति के थे यह एफएसएल की जाँच में अनिर्णित रहा है। ऐसी परिस्थितियों में उक्त अण्डरवियर्स पर मानव वीर्य पाये जाने मात्र से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध कारित किये जाने की उपधारणा नहीं की जा सकती।

25. बचाव पक्ष का तर्क है कि अभियुक्त व उसके पिता द्वारा अपनी एक बीघा जमीन पीड़िता के ससुर के पास गिरवी रखी हुई थी और अभियुक्त ने पैसे चुकाकर अपनी जमीन छुड़वा ली। इस बात से परिवादी पक्ष नाराज था और पीड़िता के पति के साथ अभियुक्त का विवाद भी हुआ था। इस वैमनस्यता के कारण अभियुक्त के विरूद्ध यह अभियोग दर्ज करवाया गया है। इस संबंध में पीड़िता ने जमीन गिरवी रखे जाने के तथ्य को तो अस्वीकार किया है लेकिन यह स्वीकार किया है कि एक बीघा जमीन मुरली ने छुड़ा ली थी इस बाबात उसके पति व मुरली के बीच झगड़ा हो गया था। पीड़िता के पति ने अभियुक्त के पिता व अपने बीच पैसों के विवाद होने की बात से इन्कार किया है लेकिन यह कथन किया है कि उनकी जमीन पर गंगाराम (अभियुक्त के पिता) ने कब्जा कर लिया था जिसका उनके बीच विवाद चल रहा था। पीड़िता की सास का कथन है कि उनकी गिरवी रखी जमीन को मुरली ने जबरदस्ती छुड़वा लिया था इसलिए उनके बीच झगड़ा हो गया था। इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच जमीन संबंधी विवाद पहले से होना भी प्रकट होता है।

साक्ष्य का निष्कर्ष

26. पत्रावली में प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में दिनांक 08.04.2019 की घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 14.04.2019 को दर्ज करवाई गई जिसका समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पीड़िता ने घटना के बारे में उसके पति को वास्तव में किस दिन और कितने दिन बाद बताया इस संबंध में साक्ष्य विरोधाभासपूर्ण है। घटना के तत्काल बाद पीड़िता द्वारा अपनी ही सास को व उसी मकान में निवास कर रहे मकान मालिक के परिवार को कोई जानकारी नहीं देना असामान्य है। घटना के समय घटना स्थल कमरे में पीड़िता की 6 वर्षीय पुत्री और 12 वर्षीय ननद मौजूद होने के बावजूद अनुसंधान में उन्हें परीक्षित नहीं किया गया है। इसी प्रकार उसी मकान में निवास कर रहे मकान मालिक और उसके परिजनों के तथा

आस-पास रहने वाले लोगों के बयान नहीं लिए गए हैं। जिसका अनुसंधान अधिकारी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। चिकित्सीय जांच से बलात्कार की घटना की सम्पुष्टि नहीं हुई है। पीड़िता के बयानों में घटना के संबंध में गम्भीर विरोधाभास और तात्विक अभिवृद्धि है। परिवादी व अभियुक्त पक्ष के बीच जमीन के विवाद की वैमनस्यता का तथ्य साबित हुआ है। ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला तात्विक विरोधाभास तथ गम्भीर संदेह लिये होने के कारण अभियुक्त मुरली के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। अतः अभियुक्त मुरली आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किये जाने का पात्र है।

आदेश

27. अतः अभियुक्त **मुरली** पुत्र गंगाराम, निवासी पहाड़पुरा, पुलिस थाना मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राजस्थान) के विरूद्ध अपराध धारा **456, 376 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने के कारण उसे **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्त के नियमित हाजरी बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

28. प्रकरण में जप्तशुदा माल वजह सबूत अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् नियमानुसार नष्ट किये जाए।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश अकलेरा,
जिला झालावाड़ (राज.)

29. यह निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया गया व खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश अकलेरा,
जिला झालावाड़ (राज.)

संलग्न- परिशिष्ट **'क'**

संलग्नः- परिशिष्ट **'क'**

अभियोजन पक्ष के साक्षीगण की सूची -

अभियोजन साक्षी क्रमांक	**साक्ष्य की प्रकृति**
01 मंगलचंद	फर्द जप्ती व तस्दीक नक्शा मौका
02 पीड़िता	स्वयं के साथ घटना कारित होना
03 पीड़िता का पति	प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्द जप्ती व नक्शा मौका
04 राजेन्द्रसिंह	मालखाना इंचार्ज
05 धनराज	अनुसंधान अधिकारी
06 शीशराम	फर्द जप्ती व तस्दीक घटना स्थल
07 पीड़िता की सास	घटना के बारे में कहना
08 विक्रम	माल एफएसएल जमा कराना

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात की सूची-

प्रदर्श क्रमांक	**दस्तावेज का विवरण**	**साबित करने वाले साक्षी**
प्रदर्श पी-1	फर्द तस्दीक घटना स्थल	साक्षी क्रमांक 1, 6
प्रदर्श पी-2	फर्द जप्ती अण्डरवियर अभियुक्त	साक्षी क्रमांक 1, 6
प्रदर्श पी-3	तहरीरी रिपोर्ट	साक्षी क्रमांक 2, 3, 5
प्रदर्श पी-4	प्रथम सूचना रिपोर्ट	साक्षी क्रमांक 2, 3, 5
प्रदर्श पी-5	फर्द जप्ती अण्डरवियर पीड़िता	साक्षी क्रमांक 2, 3, 5, 7
प्रदर्श पी-6	बलात्कार संबंधी परीक्षण रिपोर्ट	साक्षी क्रमांक 2, 5
प्रदर्श पी-7	पीड़िता के धारा 164 दप्रसं के बयान	साक्षी क्रमांक 2, 5
प्रदर्श पी-8	नक्शा मौका	साक्षी क्रमांक 2, 3, 5, 7
प्रदर्श पी-9	मालखाना रजिस्टर की प्रति	साक्षी क्रमांक 4
प्रदर्श पी-10	फर्द गिरफ्तारी	साक्षी क्रमांक 5
प्रदर्श पी-11	अभियुक्त की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना	साक्षी क्रमांक 5
प्रदर्श पी-12	माल एफएसएल जमा कराने बाबत एसपी का पत्र	साक्षी क्रमांक 5, 8
प्रदर्श पी-13	प्राप्ति रसीद	साक्षी क्रमांक 5, 8
प्रदर्श पी 14, 15	एफएसएल रिपोर्ट	साक्षी क्रमांक 5

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश अकलेरा,
जिला झालावाड़ (राज.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(अब्दुल वाजिद चिश्ती)
स्टेनो ग्रेड प्रथम

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।

ADP

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.05.13 18:01:37 IST